

REPORT OF THE COMMITTEE
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

In the matter of

News Item titled “जंगलो पर संकट के बादल, अतिक्रमणकारी पहुंचा रहे पेड़ों को नुकसान भटक रहे वन्य प्राणी, वन विभाग खामोश” appearing in Lalluram.com dated 02.07.2024

Original Application No. 193/2024 (CZ)

Date of Site Inspection: 8th October, 2024

**Location: Kansari Protected Forest, Tehsil- Lormi, District – Mungeli,
Chhattisgarh**

INDEX

S.no.	Particulars	Page no.
1)	Background	03
2)	Constitution of Committee	04
3)	Background of the area under question	04
4)	Meeting of the Committee	04
5)	Allegations raised in the news article	05
6)	Field Observations of the Committee	05
7)	Actions taken so far	07
8)	Annexure 01 to 06	08-81

1. Background :

The, Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi took suo moto cognizance of the matter based on the on the basis of the news item titled “जंगलो पर संकट के बादल, अतिक्रमणकारी पहुंचा रहे पेड़ों को नुकसान भटक रहे वन्य प्राणी, वन विभाग खामोश” appearing in Lalluram.com dated 02.07.2024 and registered it as Original Application 920/2024.

The matter relates to encroachment in the Khuriya forest range of Mungeli forest division in Chhattisgarh. As per the article, illegal agricultural work is being carried out by cutting forest and building fields and huts in about 214 hectares of forest area in Kansari complex under Karidongri range of forest area Khudia. The article alleges that the villagers have requested the removal of encroachment in the protected forest area of compartment number 1523 of Kansari complex. The article further states that earlier, orders have been issued against the encroachers including eviction proceedings but the encroachment continued this year also. Due to this, a crisis situation has arisen for the grazing land of animals. The encroachers have hampered the animal movement in these areas, forcing them to wander to other places in search of food. Furthermore, the encroachment has caused damage to the plants and trees in the area.

The Principal Bench heard the matter on date 25.07.2024. The Hon'ble Principal Bench opined that the matter relates to the Hon'ble Central Zonal Bench, Bhopal and it was transferred to the Hon'ble Central Zonal Bench, Bhopal by the order dated 25.07.2024 of the Hon'ble Principal Bench and scheduled it to be listed for hearing before the Hon'ble Central Zonal Bench, Bhopal on date 24.09.2024. The matter was registered as Original Application 193/2024 before the Hon'ble Central Zonal Bench, Bhopal. The matter was heard by Hon'ble Central Zonal Bench, Bhopal on date 24.09.2024 and the Hon'ble Tribunal ordered the formation of a committee consisting of:

- i. One Representative from the District Magistrate, Mungeli, Chhattisgarh
- ii. One Representative from the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Chhattisgarh.

2. Constitution of Committee -

The Member Secretary, Head Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board appointed Mrs. Rashmi Shrivastav, Regional Officer, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, District – Bilaspur as representative for the Chhattisgarh Environment Conservation Board by his office order dated 26.09.2024. However, as Mrs. Rashmi Shrivastav is in the last month of pregnancy, she has instructed Mr. Alok Sahu, Executive Engineer, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur to visit the site on her behalf.

The District Magistrate, District – Mungeli, appointed Mr. Sanjay Yadav, Divisional Forest Officer (DFO), District – Mungeli as his representative by the office order dated 27.09.2024.

3. Background of the area under question-

The total forest area under the Forest Division Mungeli is 15947.33 hectare which comprises of two Forest Ranges, that is, Mungeli and Lormi. The forest Lormi Forest Subdivision has 3 ranges-

- Lormi
- Khuriya
- Lormi (Production)

The forest area of Khuriya forest range is 11847.472 hectare. The forest range has various species of trees growing, including the main species of Teak, Saja, Bija, Karra etc. The encroachment site comes under the Compartment no. 1523, Beat Karidongari, Circle – Karidongari of Khuriya Range. The total area of the Compartment no. 1523 is 215.616 hectare.

4. Meeting of the Committee -

The committee held a brief meeting in the Circuit House, Tehsil – Lormi, District – Mungeli on date 08.10.2024. During the meeting, officers of Chhattisgarh State Forest Department explained in brief about the status of the actions that have already been taken against the illegal encroachment.

The Forest Range Officer, Forest Range Khuriya informed that the encroachers have been repeatedly encroaching in the Compartment no. 1523 in the past years. He also informed the committee that necessary Preliminary Offence Reports (POR) have been filed against the alleged encroachment year after year and since 2005 a total 42 number of POR's has been filed against the encroachers. The court challan has been submitted by the field officers against the encroachers and the matter is under consideration before the court of JFMC Mungeli Court.

After briefing, the Committee visited the compartment no. 1523 of the Kansari Protected Forest Area on the same day along with officers of Chhattisgarh State Forest Department and SDM, Lormi.

5. Allegations raised in the news article-

The news article titled “जंगलो पर संकट के बादल, अतिक्रमणकारी पहुंचा रहे पेड़ों को नुकसान भटक रहे वन्य प्राणी, वन विभाग खामोश” appearing in Lalluram.com dated 02.07.2024 primarily raises the following allegations –

- Damage being done to the trees growing in compartment no. 1523.
- Encroachment in the 214 hectare area of the compartment no. 1523 by cutting trees, constructing small huts and crop cultivation.
- Encroachment causing problems for grazing lands of animals.
- Encroachment causing wandering of wild animals in search of food.

6. Field Observations of the Committee-

During the inspection, the committee visited the encroached area and found that small huts made of bricks; mud and dried wood have been demolished. The Divisional Forest Officer served notices under Section 80-A of the Indian Forest Act, 1927 dated 29.08.2024 to the encroachers through Range Officer Khuriya. Similar notices have also been served on the encroachers in the year 2021 and 2023 as well. By the said notice, the encroachers were given time up to 11.09.2024 to remove the encroachments, however neither the encroachers replied to the notice, nor did they remove the encroachment from the Compartment no. 1523. A copy of the notices sent to the encroachers is attached as **Annexure-01** to this report.

Thereafter, the Divisional Forest Officer, District –Mungeli formed three teams to remove the illegal encroachment from the compartment no. 1523 by his order dated

03.10.2024. A copy of the order dated 03.10.2024 of Divisional Forest Officer, District –Mungeli is attached as attached as **Annexure-02** to this report.

In pursuance of the above-mentioned order, the three teams along with forces from Forest Department, Revenue Department and Police Department under the leadership of SDM (Revenue) Lormi, SDOP Lormi, Divisional Forest Officer, District –Mungeli and Additional Superintendent of Police, District –Mungeli launched a wide operation of removal of the encroachment on date 04.10.2024.

During the operation, the combined forces removed a total of 41 of such small huts made of bricks; mud and dried wood were removed and a total encroached area of about 45 hectares (which includes farms and huts) was taken back into the compartment no. 1523. The encroachers requested to allow them to harvest the crops being grown in the forest area of compartment no. 1523. A last opportunity has been given to the encroachers and time of 2 months has been granted to them to harvest the crops and remove the encroached farms permanently.

They have also affirmed their statement in written Panchanama that they will not encroach further after harvesting the crops. The encroachers have stated that they are very poor and do not have any means of livelihood. So, on humanitarian grounds they have been given two months' time for self-removal/harvesting of their crop cultivation. A copy of the letter of Forest Range Officer, Khuriya Forest Range dated 05.10.2024 addressed to Forest Officer Forest along with the panchnama dated 04.10.2024 and the photographs showcasing the taking down of the illegally build huts is attached as **Annexure-03** to this report.

During the inspection of the compartment no. 1523, the committee did not find any damage to the trees/cutting of trees in the area. It is also clear from the above-mentioned facts that the encroachment was being done in an area of about 45 hectare and not in the 214 hectare as mentioned in the news article on which the Hon'ble Tribunal has taken cognizance of the matter. The committee also visited the places where the illegal brick and stone huts were built and confirmed that they have been taken down. A copy of the photographs taken and the panchnama made during the visit of the committee to the compartment no. 1523 is attached as **Annexure-04** to this report.

Thus, the committee has found the allegations of damage being done to the trees and the encroaching of the 214 hectare of the compartment no. 1523 as false during site visit.

The committee did notice paddy and pigeon pea (Arhar) cultivation being done by the encroachers at some places. As stated above, the encroachers have been given a last opportunity to remove the illegal crop cultivation within two months on humanitarian grounds.

During the inspection, the committee did not find any kind of problems being caused to the animals facing crisis of grazing land. The committee did observe several cows on the road leading into the Compartment no. 1523 as the cows were returning after grazing. The committee found that there is enough grazing land in the area to allow animals to graze freely without any kind of problem.

The committee also did not notice any wandering of wild animals due to encroachment on the date of inspection. Thus, the allegations of the encroachment causing problems for grazing lands of animals and also causing wandering of wild animals in search of food was found as false by the committee.

7. Actions taken so far-

- Night surveillance is being done in the area to prevent any further encroachment or construction. A copy of the order issued for night surveillance is attached as attached as **Annexure-05** to this report.
- Caution boards have been installed at prominent locations in the compartment to aware/warn the people from doing any kind of further encroachment. A copy of the photographs of the caution boards is attached as **Annexure-06** to this report.
- Munadis by respective village kotwars are being done frequently to aware the villagers about the penal sections of the Indian Forest Act, 1927.
- The Forest Department is continuously monitoring the area and is keeping a constant vigil over the forest area with the help of flying squad and ground officials, so that instances of encroachment like this do not happen again.



(Alok Sahu)
Executive Engineer
Regional Office,
CECB, Bilaspur (C.G.)



(Sanjay Yadav)
Divisional Forest Officer,
Division Mungeli,
District- Mungeli (C.G.)

प्रति,

श्री. हुकमीचंद व. फुलसिंह जाति-कलार

ग्राम- कंरारी तह. लोरमी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024

2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021

3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/70 दिनांक 26.07.2021

4. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3809 दिनांक 22.08.2023

5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024

6. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024

7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रं. 1523 के रकबा 1.047 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

29

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2900

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के झा.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रमारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अ अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का स.
 6. धाना प्रभारी लोरमी धाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री स्त्रीगीबी व. रहमान जाति - मुसलमान

ग्राम - दरवाजा तह. लोरमी

जिला - मुंगेली (छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुदिया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/100 दिनांक 11.08.2021
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3853 दिनांक 22.08.2023
 5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 01.07.2024
 6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
 7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुदिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कल क्र. 1523 के रकबा 0.900 हे. क्षेत्र में अवैध काबजा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/21 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण को विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक वात अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की वरत में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुदिया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. धाना प्रभारी लोरमी धाना वी ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

- श्री मानसा व. कल्ता जाति-मुरालयान
ग्राम- दरवाजा तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)
- विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
- संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/98 दिनांक 11.08.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3857 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 01.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रं. 1523 के रकबा 1.130 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 को उल्लंघन बाबत आपको विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/21 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण को विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" को प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र को द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

- प्रतिलिपि:- 1. जिलाप्रमुख एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 को तारतम्य में सूचनाार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

(14) कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/ १८१५

मुंगेली, दिनांक २९/०८/२०२४

प्रति,

श्री मंगोहर व. केजूराम जाति-कलार

ग्राम- कंसरी तह. लोरमी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ८०(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

संदर्भ:- १. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./६५७ दिनांक १४.०८.२०२४ एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. ९३४

दिनांक २८.०८.२०२४

२. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/४११ दिनांक ११.०२.२०२१

३. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/८५ दिनांक २६.०७.२०२१

४. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/३८०३ दिनांक २२.०८.२०२३

५. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/२१७९ दिनांक १.०७.२०२४

६. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/ २२६४ दिनांक ०८.०७.२०२४

७. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/२६२५ दिनांक ०१.०८.२०२४

—००—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कल क्रं. १५२३ के रकबा १,००० हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा २९ के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. १२८०८/१६ दिनांक- ०८/११/२०२० पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ८० "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक ११/०९/२०२४ तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ८० "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

25

पृ. क्रमांक/संरक्षण / २८१६

२०२४/मुंगेली/दिनांक २९/०८/२०२४

- प्रतिलिपि:-
१. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के झा.क्रं.एफ-५/३८/८७/१०-३ दिनांक ०५-०२-२००० के तारतम्य में सूचनार्थ।
 २. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 ३. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 ४. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 ५. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 ६. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

क्र./संरक्षण/ 2885

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

मुंगेली, दिनांक 25/09/2024

प्रति,

श्री श्याम सिंह व. बुधराज, जाति-कलार
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
- परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप प्र.ग.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 - इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 - इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/72 दिनांक 26.07.2021
 - इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3791 दिनांक 22.08.2023
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड को कस क्र. 1523 के राकबा 0.550 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 540/14 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्राक्धानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

15

पू. क्रमांक/संरक्षण / 2886

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

- प्रतिलिपि:-
- जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 - पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 - अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 - उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 - वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण को वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 - धाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

13

श्री रामसुफल व.रंगदेव जाति--कलार
ग्राम-- कंसरी तह. लोरमी
जिला--मुंगेली(छ.ग.)
विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
संदर्भ:-

1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/85 दिनांक 26.07.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3803 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्र. 1523 के रकबा 0.500 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।


वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

23 |

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2894

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के डा.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।


वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री नारायण व. प्रह्लाद जाति-कवसर
ग्राम- कंसरी तह. लोरगी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) को तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
- परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरगी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संस्थाण/2179 दिनांक 01.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संस्थाण/2264 दिनांक 08.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संस्थाण/2625 दिनांक 01.08.2024

—03—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल को अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर को संरक्षित वनखण्ड को कस क्र. 1523 के रकबा 0.500 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 15108/07 दिनांक- 21/05/2024 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों को तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 05/08/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

81

पू. क्रमांक/संस्थाण/ 2950

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-
- जिलामुखा एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के डा.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 - पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। सूचना संबंधित धाना प्रभावियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 - अनुविभागीय अधिकारी लोरगी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 - उप वनमंडलाधिकारी लोरगी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 - उप परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 - धाना प्रभारी लोरगी धाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

15
9) कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/ 2903

मुंगेली, दिनांक 29/8/2024

प्रति,

श्री अमरीका व. संतराम, जाति-कलार
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/76 दिनांक 26.07.2021
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3815 दिनांक 22.08.2023
 5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्र. 1523 के रकबा 1.092 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 540/13 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

33

पृ. क्रमांक/संरक्षण/ 2904

2024/मुंगेली/दिनांक 29/8/2024

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाध्यक्ष एवं वनमण्डलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के ज्ञा.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

16
कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

क्र./संरक्षण/ 2893

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

मुंगेली, दिनांक 29/08/2024

प्रति,

- श्री रामसुफल व.रंगदेव जाति--कलार
ग्राम-- कंसरी तह. लोरमी
जिला--मुंगेली(छ.ग.)
- विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।
संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/85 दिनांक 26.07.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3803 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रं. 1523 के रकबा 0.500 है. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बंधन में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

23

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2894

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. जिलाध्यक्ष एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के डा.क्रं. एक-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। सांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री साहदेव व. कलाराम जाति-सतनामी

ग्राम- कंसरी तह. लोरमी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
- परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 924 दिनांक 28.08.2024
 - इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 - इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/103 दिनांक 26.07.2021
 - इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3819 दिनांक 22.08.2023
 - वनपालकीन पत्र क्र./संख्या/2179 दिनांक 1.07.2024
 - वनपालकीन पत्र क्र./संख्या/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 - वनपालकीन पत्र क्र./संख्या/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयगतगत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड क्र. 1523 के रकबा 1,000 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध को लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/22 दिनांक- 16/07/2021 पंजीयद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण को विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्राधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को पैग मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

35

पृ. क्रमांक/संख्या/ 2966

2024/मुंगेली/दिनांक23/08/2024

- प्रतिलिपि-
- जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाथ।
 - पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाथ प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 - अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 - उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 - वन परिक्षेत्राधिकारी खुडिया की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 - धाना प्रभारी लोरमी धाना की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/ 2883

मुंगेली, दिनांक 25/08/2024

प्रति,

श्री मनीराम व. कोजक, जाति-कलार
ग्राम- कंसारी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बावत।

- संदर्भ:-
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/82 दिनांक 26.07.2021
 4. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3793 दिनांक 22.08.2023
 5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 6. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयसंबंधित लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर को संरक्षित वनखण्ड के क्र. 1523 के रकबा 0.979 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 540/13 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11.09.2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को फौद मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

17

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2888

2024/मुंगेली/दिनांक 25/08/2024

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री निजाम व.गुण्डा जाति-मुरालधाम
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
- परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 01.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कल क्र. 1523 को एकाबा 1,000 हे. क्षेत्र में अधि कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 को उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 15108/05 दिनांक- 24/12/2023 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अधि अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बंधन में कोई फल प्रस्तुत किया गया है।

बिधित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र को द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2948

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-
- जिलाध्यक्ष एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के डा.क्र.एक-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 - पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 - अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 - उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 - वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 - थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री नत्थु व.खानू जाति-मुसलमान
ग्राम- दरवाजा तह, लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।


- संदर्भ- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/96 दिनांक 26.07.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3849 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्र./संख्या/2179 दिनांक 01.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्र./संख्या/2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्र./संख्या/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयोंतर्गत लेख है कि आपको द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनक्षेत्र के कंस. क्र. 1523 के एका 0.83 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/20 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्राक्कानी के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बंधन में कोई वास्ते प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।


वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

65 |

पृ. क्रमांक/संख्या/ 2936

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

- प्रतिलिपि- 1. जिलाध्यक्ष एवं सहायक अधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुडिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।


वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

क्र./संरक्षण/ 2939

प्रति,

- श्री अमरा व. कालिया जाति-मुसलमान
ग्राम- दरवाजा सह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)
- विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
- संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/99 दिनांक 11.08.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3855 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 01.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयगत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के बन्हा क्र. 1523 के रकबा 1.124 हे. क्षेत्र में अवैध काबजा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/21 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बंधन में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिहित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली, वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

69

ग्राम- दरवाजा सह. लोरमी

पृ. क्रमांक/संरक्षण/ 2940

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाध्यक्ष एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रणारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. धाना प्रभारी लोरमी धाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग विन्ने जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली, वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

22 कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

क्र./संस्क्षण/ 2959

Email - dfa.mungeli@cg.gov.in

मुंगेली, दिनांक 29/08/2024

प्रति,

श्री शेर व.निजाम जाति-मुसलमान
ग्राम- कंसरा उत. लोरगी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

- विषय:-** भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
- संदर्भ:-**
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरगी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्क्षण/2179 दिनांक 01.07.2024
 3. कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्क्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
 4. कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्क्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

संपरोक्ता विषयगतगत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रं. 1523 के एकमा 0.500 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 15108/05 दिनांक- 24/12/2023 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत 07 दिवस के भीतर अतिक्रमण मुक्त करें।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/07/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को कैंप मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

85

पू. क्रमांक/संस्क्षण / 2959

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-**
1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के झा.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 को तारतम्य में सूचनाार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरगी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमंडलाधिकारी लोरगी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरगी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/ 2897

मुंगेली, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

श्री रघुवीर व.फुलसिंह जाति-कलार

ग्राम- कंसरी तह. लोरमी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।

संदर्भ- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934

दिनांक 28.08.2024

2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021

3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/85 दिनांक 26.07.2021

4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3803 दिनांक 22.08.2023

5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024

6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024

7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयगतगत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्र. 1523 के रकबा 0.500 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा को पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा वी दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

27

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2898

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

प्रतिलिपि-

1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

सं./संरक्षण/ 2913

मुंगेली, दिनांक 29/08/2024

प्रति,

श्री नरबदा व. छेदी जाति-सतनामी
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया का पत्र सं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र सं. 934 दिनांक 28.08.2024

2. इस कार्यालय का अ.सं./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021

3. इस कार्यालय का अ.सं./स्टेनो/105 दिनांक 11.08.2021

4. इस कार्यालय का पत्र सं./स्टेनो/3829 दिनांक 22.08.2023

5. कार्यालयीन पत्र सं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024

6. कार्यालयीन पत्र सं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024

7. कार्यालयीन पत्र सं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपको द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कत सं. 1523 के रकबा 1.162 हे. क्षेत्र में अवैध कच्चा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण सं. 12808/22 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपको द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बंधाय में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपको द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र को द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की वरदा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

43

पू. क्रमांक/संरक्षण / 2914

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

प्रतिनिधि-

1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के प्रा.सं.एच-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।

2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।

3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।

4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुडिया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।

6. धाना प्रभारी लोरमी धाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfu.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/४४४/

मुंगेली, दिनांक २९/०८/२०२४

प्रति,

श्री सोपसिंह व. सोरसिंह, जाति-कलार

ग्राम- कंसरी तह. लोरनी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय- भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ८०(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

संदर्भ- १. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./६५७ दिनांक १४.०८.२०२४ एवं उप व.म.अ. लोरनी का पत्र क्र. ९३४

दिनांक २८.०८.२०२४

२. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/४११ दिनांक ११.०२.२०२१

३. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/७९ दिनांक २६.०७.२०२१

४. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/३७८७ दिनांक २२.०८.२०२३

५. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/२१७९ दिनांक १.०७.२०२४

६. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/२२६४ दिनांक ०८.०७.२०२४

७. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/२६२५ दिनांक ०१.०८.२०२४

—००—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कब्र क्र. १५२३ के रकबा १.१६१ हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा २९ के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. ५४०/१४ दिनांक- ११/०७/२००५ पंजीयद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ८० "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उल्लेख प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

आतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक ११/०९/२०२४ तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ८० "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

11

पृ. क्रमांक/संरक्षण / २९४२

२०२४/मुंगेली/दिनांक २९/०८/२०२४

- प्रतिलिपि-
१. जिलाप्रशा एवं वन्याधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र./एफ-५/३८/८७/१०-३ दिनांक ०५-०२-२००० के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 २. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 ३. अनुविभागीय अधिकारी लोरनी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 ४. उप वनमंडलाधिकारी लोरनी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 ५. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 ६. धाना प्रभारी लोरनी धाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

क्र./संरक्षण/ 23 (1)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

मुंगेली, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

- श्री मानू व. पुन्नु जाति-सतनामी
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)
- विषय- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
- संदर्भ- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं जम व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/106 दिनांक 11.08.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3827 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयोंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्रं. 1523 के रकबा 0.660 हे. क्षेत्र में अधिष कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 को उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/22 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अधिष अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्राक्तानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बंधन में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र को द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा को पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

41 |

पू. क्रमांक/संरक्षण/ 23/12

2024/मुंगेली/दिनांक 23.8.2024

- प्रतिलिपि-
1. जिलाध्यक्ष एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शतसन वन विभाग के आ.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारसम्य में सूचनाएं।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाएं प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेणित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुडिया की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेणित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेणित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/ 2873

मुंगेली, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

श्री ब्यास व. भगनु, जाति-सतनामी
ग्राम- कंसरी उड. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
- 1.परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
 - 2.इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/75 दिनांक 26.07.2021
 4. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/3379 दिनांक 22.08.2023
 - 5.कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 - 6.कार्यालयीन पत्रक्रं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 - 7.कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रं. 1523 को रकबा 1.048 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 540/14 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11.09.2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

3

पृ. क्रमांक/संरक्षण/ 2874

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

- प्रतिलिपि:-
- 1.जिलाव्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के झा.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री बऊआ व. खेरु प्राप्ति-सतनामी
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।

- संदर्भ- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उष व.न.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/109 दिनांक 11.08.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3833 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
6. कार्यालयीन पत्रक्रं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयगतगत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्रं. 1523 के एकबा 0.500 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/23 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिदित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुए दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

- प्रति- 1. जिलायुक्त एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के ताराम्य में सूचनाएं।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाएं प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

(4) कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/ 2839

मुंगेली, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

श्री धनीराम व. केजक, जाति-कलार
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/83 दिनांक 26.07.2021
 4. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/3785 दिनांक 22.08.2023
 5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 6. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड क्रं. 1523 के रकबा 1.075 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 540/13 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बंधन में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

9

पू. क्रमांक/संरक्षण / 2850

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाग्रहण एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री मिलक व. बिरोन जाति-सतनामी
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
- 1.परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 - 2.इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/74 दिनांक 26.07.2021
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3781 दिनांक 22.08.2023
 - 5.कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 - 6.कार्यालयीन पत्रक्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 - 7.कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयोंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड को कक्षा क्र. 1523 के रकबा 0.963 हे. क्षेत्र में अवैध काज कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 540/14 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11.09.2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।


वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

- प्रतिलिपि-
- 1.जिलाध्या एवं वन्यजाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एक-5/38/67/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाई।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाई प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रभु करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाई एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्रार्थना करें।
 6. धाना प्रभारी लोरमी धाना की ओर सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।


वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

क./संरक्षण/ 2955 Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

मुंगेली, दिनांक 29/08/2024

प्रति,

श्रीमती पवारबाई व. टेकराम, जाति-कलार

ग्राम- कंसरी तह. लोरमी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:-

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

संदर्भ:-

1. परिक्षेत्र अधिकारी खुदिया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.न.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/77 दिनांक 26.07.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/3813 दिनांक 22.08.2023
4. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 01.07.2024
5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल को अधीन वनपरिक्षेत्र खुदिया अंतर्गत कंसरी परिसर को संरक्षित वनखण्ड के क्र. 1523 को रकबा 1,175 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 540/14 दिनांक- 11/07/2005 पंजीकृत किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उल्लेख प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11.09.2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

89

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2956

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. जिलाध्यक्ष एवं वनमण्डलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित धाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुदिया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. धाना प्रभारी लोरमी धाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री बिसाहू व. मांडी, जाति-कलार
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:-

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

संदर्भ:-

- परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप य.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
- इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
- इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/84 दिनांक 26.07.2021
- इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3789 दिनांक 22.08.2023
- कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
- कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
- कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कल क्र. 1523 के एकबा 1.000 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 540/14 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

- जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारताम्य में सूचनाार्थ।
- पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का काष्ट करें।
- अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
- उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
- वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
- थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री चंद्रिका व. लीरा जाति-कलार

ग्राम- कंसरी तह. लोरनी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरनी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/107 दिनांक 11.08.2021
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3831 दिनांक 22.08.2023
 5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपको द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्र. 1523 को रकबा 1.116 हे. क्षेत्र में अवैध काबजा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपको विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/23 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपको द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिधित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा को दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

45

क्र.क्रमांक/संरक्षण/ 29/6

2024/मुंगेली/दिनांक 9/8/2024

प्रतिनिधि-

1. जिलाज्येष्ठ एवं सप्टाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एक-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाएं।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाएं प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरनी अनुविभाग की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरनी की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरनी थाना की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री प्रहलाद व.फुलसिंह जाति-कलार
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:-

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

संदर्भ:-

- परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
- इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
- इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/67 दिनांक 26.07.2021
- इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3799 दिनांक 22.08.2023
- कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
- कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
- कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्र. 1523 के रकबा 0.956 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीयत किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल/मुंगेली (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

- जिलाध्यक्ष एवं वनमण्डलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
- अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
- उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
- थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल/मुंगेली (छ.ग.)

श्री. प्रकाश व. पुन्नु, जाति-सतनामी

ग्राम- कंसरी तह. लोरमी

जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/73 दिनांक 26.07.2021
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3783 दिनांक 22.08.2023
 5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
 6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
 7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रं. 1523 के रकबा 1,174 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 540/14 दिनांक- 11/07/2005 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11.09.2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली-वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

7

पृ. क्रमांक/संरक्षण / 2878

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. जिलाध्यक्ष एवं वण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के डा.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली-वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

- श्री रुचंद व. आचुराम जाति-सातनामी
 ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
 जिला-मुंगेली(छ.ग.)
- विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
- संदर्भ:-
- परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
 - इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
 - इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/104 दिनांक 11.08.2021
 - इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3825 दिनांक 22.08.2023
 - कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्था/2129 दिनांक 1.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्था/2264 दिनांक 08.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्था/2625 दिनांक 01.08.2024

-00-

उपरोक्त विषयगतगत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्रं. 1523 के रकबा 0.44 हे. क्षेत्र में अवैध काबजा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/22 दिनांक- 16/07/2021 पंजीकृत किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यंत तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिदित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यंत तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र को द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुए दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
 मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

39

पृ. क्रमांक/संस्था/ 2910

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-
- जिलाध्यक्ष एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 - पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 - अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 - उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित।
 - वन परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 - थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेपित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
 मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

क्र./संरक्षण/ 289

मुंगेली, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

- श्री सुलवी म.हुकमीमंद जाति-कलार
ग्राम- कंसरी तह. लोरनी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)
- विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
- संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी सुडिया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप म.अ. लोरनी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/67 दिनांक 26.07.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3799 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024
6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र सुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्र. 1523 को रकबा 1,000 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को पेश मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

21

पू. क्रमांक/संरक्षण/ 2892

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

- प्रतिलिपि:- 1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारताम्य में सूचनाार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरनी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरनी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी सुडिया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमणको बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरनी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग विन्ने जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

- श्री ज्ञानी व. कलस जाति-मुसलमान
ग्राम- दरवाजा तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)
- विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।
- संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/1674 दिनांक 02.08.2021
3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/101 दिनांक 11.08.2021
4. इस कार्यालय का पत्र क्र./स्टेनो/3823 दिनांक 22.08.2023
5. कार्यालयीय पत्र क्र./संस्थाप/2179 दिनांक 1.07.2024
6. कार्यालयीय पत्र क्र./संस्थाप/ 2264 दिनांक 08.07.2024
7. कार्यालयीय पत्र क्र./संस्थाप/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयगत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्र. 1523 के रकबा 1.160 हे. क्षेत्र में अवैध काबाता कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 12808/21 दिनांक- 16/07/2021 पंजीकृत किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की वरता में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

37

पू. क्रमांक/संस्थाप/ 2968

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

- प्रतिलिपि:- 1. जिलाध्यक्ष एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग को आ.क्र./एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाथ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाथ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री, विजय व. मुंगेलिया जाति-रातनामी
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।

- संदर्भ:-
1. परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्र./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्र. 934 दिनांक 28.08.2024
 2. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021
 3. इस कार्यालय का आ.क्र./स्टेनो/71 दिनांक 26.07.2021
 4. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2129 दिनांक 01.07.2024
 5. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2264 दिनांक 08.07.2024
 6. कार्यालयीन पत्र क्र./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपको द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कल क्र. 1523 को एकबा 1,302 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्र. 540/14 दिनांक- 11/07/2005 पंजीकृत किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र को द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की वरत में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली, वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/संरक्षण/ 2944

2024/मुंगेली/दिनांक 23/8 /2024

प्रतिलिपि-

1. जिलाग्रहण एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्र.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाएं।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाएं प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक सहयोग करें।
4. उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमणको वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली, वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

Email - dfa.mungeli@cg.gov.in

क्र./संख्या/ 2945

मुंगेली दिनांक 23/08/2024

प्रति,

श्री उदयराम व. तुलाराम जाति-यादव
ग्राम- कंसरी तह. लोरमी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

विषय- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली बाबत।

- संदर्भ-
- परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्रं./संख्या/2179 दिनांक 01.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्रं./संख्या/2264 दिनांक 08.07.2024
 - कार्यालयीन पत्र क्रं./संख्या/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयान्वित लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड क्रं. 1523 के रकबा 0.500 हे. क्षेत्र में अर्ध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अर्ध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्राधान्यों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपको द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस मोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को फौज मारतो हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

77

पू. क्रमांक/संख्या / 2946

2024/मुंगेली/दिनांक 23/08/2024

- प्रतिलिपि-
- जिलाध्यक्ष एवं सहाय्यकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के डा.क्रं.एच-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ।
 - पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 - अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 - उप वनमंडलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 - वन परिक्षेत्राधिकारी खुड़िया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 - थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

प्रति,

श्री. हुकमीचंद व. फुलसिंह जाति-कलार

ग्राम- कंसरी तह. लोरमी

जिला-मुंगेली(प्र.ग.)

विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से वेदखली बाबत।

संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरमी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024

2. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/411 दिनांक 11.02.2021

3. इस कार्यालय का आ.क्रं./स्टेनो/70 दिनांक 26.07.2021

4. इस कार्यालय का पत्र क्रं./स्टेनो/3809 दिनांक 22.08.2023

5. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2179 दिनांक 1.07.2024

6. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/ 2264 दिनांक 08.07.2024

7. कार्यालयीन पत्र क्रं./संरक्षण/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा इस वनमण्डल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड के कस क्रं. 1523 के रकबा 1.047 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/16 दिनांक- 08/11/2020 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यन्त तक आपके द्वारा न ही उक्त अतिक्रमण भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

विदित हो कि संदर्भित आदेश के द्वारा आपको पूर्व में वेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र के द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/09/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा के पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को वैध मानते हुए नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (प्र.ग.)

29

पृ. क्रमांक/संरक्षण/ 2900

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. जिलाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के आ.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनार्थ।

2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।

3. अनुविभागीय अधिकारी लोरमी अनुविभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।

4. उप वनमण्डलाधिकारी लोरमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुडिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण को वेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।

6. थाना प्रभारी लोरमी थाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को वेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली (प्र.ग.)

क्र./संस्थाप/ 2951

Email - dfo.mungeli@cg.gov.in

मुंगेली, दिनांक 29/08/2024

प्रति,

श्री शेर व. मान जाति-मुसलमान
ग्राम- दरवाना तह. लोरवी
जिला-मुंगेली(छ.ग.)

- विषय:- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत वनभूमि से बेदखली मामले ।
- संदर्भ:- 1. परिक्षेत्र अधिकारी खुडिया का पत्र क्रं./657 दिनांक 14.08.2024 एवं उप व.म.अ. लोरवी का पत्र क्रं. 934 दिनांक 28.08.2024
2. कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्थाप/2179 दिनांक 01.07.2024
3. कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्थाप/2264 दिनांक 08.07.2024
4. कार्यालयीन पत्र क्रं./संस्थाप/2625 दिनांक 01.08.2024

—00—

उपरोक्त विषयगतगत लेख है कि आपको द्वारा इस वनमंडल के अधीन वनपरिक्षेत्र खुडिया अंतर्गत कंसरी परिसर के संरक्षित वनखण्ड को कक्षा क्रं. 1523 के एकमा 1.000 हे. क्षेत्र में अवैध कब्जा कर वनभूमि अतिक्रमण कर उपयोग किया जा रहा है। इस अपराध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के उल्लंघन बाबत आपके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रं. 12808/21 दिनांक- 16/07/2021 पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संदर्भित पत्र द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण खाली करने की सूचना दी गई किन्तु आज पर्यंत तक आपको द्वारा न ही उक्त अतिक्रमणित भूमि को खाली किया गया है और न ही अपने बचाव में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

बिधित हो कि संदर्भित आदेश को द्वारा आपको पूर्व में बेदखली आदेश जारी किया जा चुका है किन्तु आपको द्वारा आज पर्यंत तक वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है।

अतः इस नोटिस पत्र को द्वारा अंतिम अवसर प्रदाय करते हुये दिनांक 11/07/2024 तक का अवसर दिया जाता है। निर्धारित समय सीमा को पूर्व वनक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की वरत में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 "अ" के तहत जारी आदेश को कैंच मानते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।


वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

पू. क्रमांक/संस्थाप / 2952

2024/मुंगेली/दिनांक 29/08/2024

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाध्यक्ष एवं वनमंडलाधिकारी को छ.ग. शासन वन विभाग के डा.क्रं.एफ-5/38/87/10-3 दिनांक 05-02-2000 के तारतम्य में सूचनाार्थ ।
 2. पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली छ.ग. की ओर सूचनाार्थ प्रेषित। कृपया संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
 3. अनुविभागीय अधिकारी लोरवी अनुविभाग की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक सहयोग करें।
 4. उप वनमंडलाधिकारी लोरवी की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
 5. वन परिक्षेत्राधिकारी खुडिया की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। अतिक्रमणित भूमि से अतिक्रमणको को बेदखल कर इस कार्यालय को सूचित करें। आवश्यक पुलिस बल का सहयोग प्राप्त करें।
 6. थाना प्रभारी लोरवी थाना की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। मांग किये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग करें।


वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमंडल, मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, लोरमी, उपवनमंडल लोरमी जिला-मुंगेली (छ.म.)

Email-sdolormi@gmail.com

क्रमांक / 1040/
प्रति,

2024/लोरमी/दिनांक 03/10/2024

समस्त परिक्षेत्र अधिकारी
मुंगेली, वनमंडल मुंगेली

विषय :- वन परिक्षेत्र खुडिया के संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रं.1523पी.एफ. में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का कार्यालयीन पत्र क्रं./1031 दिनांक 01.10.2024.

—:0:—

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि मुंगेली वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र खुडिया के कक्ष क्रं. 1523पी.एफ. कंसरी परिसर में ग्राम दरवाजा, कंसरा, कंसरी के लगभग 43 ग्रामीणों के विरुद्ध जारी वन अपराध प्रकरण क्रं.540/14 दिनांक 11.07.2005, 12808/16 दिनांक 08.11.2020 तथा 12808/20 दिनांक 16.07.2021 में अतिक्रमकों के बेदखली की कार्यवाही हेतु बेदखली आदेश श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय वनमंडल मुंगेली के द्वारा दिनांक 30.09.2024 को जारी किया जा चुका है। उक्त वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु वनमंडलाधिकारी मुंगेली के मौखिक निर्देशानुसार निम्नानुसार कर्मचारियों का दल गठित करते हुए सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त कर्मचारी अपने अधीनस्थ कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों के साथ दिनांक 04.10.2024 को समय प्रातः 07.00 बजे अपने प्रभारी अधिकारी से संपर्क स्थापित कर निर्धारित स्थान कारीडोंगरी रोपणी में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

दल क्रं.	नोडल अधिकारी का नाम	प्रभारी एवं सहायक प्रभारी का नाम	सदस्य कर्मचारी का नाम	सहयोगी कर्मचारी का नाम	अतिक्रमित संरचना संख्या
1	श्री किस्टोफर कुजुर प अ खुडिया	श्री टेकराम कोलाम, प स कारीडोंगरी (प्रभारी) श्री समेलाल जायसवाल प स सावतपुर पूर्व श्री सचिन सिंह राजपूत, प र चचेडी	श्री विजय कुमार पाण्डेय प स बिजराकछार श्री मनोहर लाल यादव प र घानाघाट श्रीमती सरोज बाई राठौर विशेष कर्तव्य, लोरमी श्री सतीशचंद्र शर्मा, बेरियर प्रभारी, कारीडोंगरी	श्री विकास वर्मा, व र पधरिया श्री निलेश सोनकर व र मुंगेली श्री शंकर जोशी, प र चदूपास श्री कुलेश्वर देवागन, रोपणी सहायक तुलसाघाट श्री पूनाराम साहू, भृत्य / अर्दली श्री कमल यादव, भृत्य / अर्दली श्री सुशील कुमार राजपूत, सुरक्षा श्रमिक	01 से 13 तक
2	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी प अ पधरिया	श्री परसराम धुव, प स खुडिया (प्रभारी) श्री विनय तिवारी, प स पधरिया श्री जुटेलराम राजपूत, प स सावतपुर पश्चिम	श्री राजकुमार राजपूत, प र सलगी श्री हरिशचंद्र राजपूत, वनपाल लोरमी (उत्पादन) श्री शेष कुमार कश्यप तुलसाघाट रोपणी	श्री जयेंद्र सिंह राजपूत, व र पधरिया श्री राजकुमार नेताम, प र झिरिया श्री तितरा सिंह गोड, प र सावतपुर पूर्व श्री ललित बजारे, प र परसवारा श्री बजरंग कश्यप, प र कंसरी श्री रामनाथ यादव, वा आ खुडिया श्री दीपक धुव, सुरक्षा श्रमिक श्री अजय कुमार तिवारी, सुरक्षा श्रमिक	01 से 10 तक
3	श्री सवित कुमार धुव प स लोरमी पूर्व	श्री पदुम सिंह नेताम, प स भूतकछार (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार कश्यप, प स सलगी श्री नदलाल गहरवार, वनपाल मुंगेली	श्री नरेन्द्र प्रसाद उपाध्याय प र बिजराकछार श्री रमेश यादव, प स टिगीपुर श्री राजेश कुमार पाटले, प स लोरमी पश्चिम श्री देवेन्द्र कुमार विपाठी वनपाल लोरमी (उत्पादन)	श्रीमती सावित्री राजपूत, व र मुंगेली श्री रामनारायण कोल प र खुडिया श्री जदेशराम राजपूत, प र भारतपुर श्री प्रभात कुमार जलतारे, रोपणी प्रभारी तुलसाघाट श्री सुरेंद्र यादव, भृत्य / अर्दली मुंगेली श्री मादूशम कोलाम, सुरक्षा श्रमिक श्री पचराम पटेल, सुरक्षा श्रमिक	01 से 19 तक

संलग्न:- संरचना संख्या की सूची।



उपवनमंडलाधिकारी
लोरमी, उपवनमंडल लोरमी

पृ. क्रमांक / 1041/

2024/लोरमी/दिनांक 03/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी मुंगेली की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।
2. उपवनमंडलाधिकारी मुंगेली की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त कार्यवाही में सहयोग करने का कष्ट करें।


उपवनमंडलाधिकारी
लो रमी, उपवनमंडल, लोरमी

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया वनपरिक्षेत्र खुड़िया

वनमंडल मुंगेली, जिला-मुंगेली छ.ग.

Email id:- khudia.ro@gmail.com.in

क्रमांक / प्रति, 753

2024 / खुड़िया / दिनांक 05/10/2024

वनमंडलाधिकारी

मुंगेली, वनमंडल मुंगेली (छ.ग.)

द्वारा:-

श्रीमान उपवनमंडलाधिकारी लोरमी

विषय:-

कंसरी परिसर के कक्ष क्रं. 1523 संरक्षित वनक्षेत्र से अवैध अतिक्रमण वेदखली की कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भ:-

उपवनमंडलाधिकारी लोरमी का कार्यालयीन पत्र क्रं. 1040 दिनांक 03.10.2024.

---00---

उपरोक्त विषयानुसार सादर निवेदन है कि वन परिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के कक्ष क्रं. 1523 संरक्षित वन क्षेत्र में ग्राम कंसरी, कंसरा, दरवाजा, के कुल 43 ग्रामीणों द्वारा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर संरचना का निर्माण करते हुये वन भूमि का रूपांतरण किया गया उक्त अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध परिसर रक्षक कंसरी के द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रं. 540/14 दिनांक 11.07.2005, 12808/16 दिनांक 08.11.2020 तथा 12808/20 दिनांक 16.07.2021 कायम किया गया जिसकी विवेचना की कार्यवाही प.स.कारीडोंगरी के द्वारा की जा रही है।

महोदय विदित हो कि उक्त अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विगत वर्षों से वेदखली की कार्यवाही जारी है। अतिक्रमणकारियों द्वारा पुन वनक्षेत्र पर अतिक्रमण करने पर कार्यालय वन मंडलाधिकारी मुंगेली वन मंडल मुंगेली के द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 (अ) के तहत वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु नोटिस जारी करते हुये युक्ति युक्त अवसर प्रदाय किया गया था किंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा न ही नोटिस का जवाब दिया गया और न ही वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया, परिणामस्वरूप कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली के द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 (अ) के प्रावधानों के अनुशार वेदखली आदेश जारी करते हुये प्रतिलिपी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निर्देशित किये जाने पर कार्यालय उप वनमंडलाधिकारी लोरमी के संदर्भित पत्र के माध्यम से 03 दल का गठन कर वन क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण वेदखली की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने पर दिनांक 04.10.2024 को श्रीमान वनमंडलाधिकारी मुंगेली के निर्देशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली के मार्गदर्शन पर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लोरमी, श्रीमान उपवनमंडलाधिकारी लोरमी के नेतृत्व में वन दल, पुलिस दल, राजस्व विभाग के अधिकारियों के सहयोग से कंसरी परिसर कक्ष क्रं. 1523 संरक्षित वन क्षेत्र में निर्मित अवैध संरचना झोपड़ी/झाला कुल 41 नग को नष्ट कर रकबा लगभग 4500 हे. वन भूमि को घेरा बंदी एवं मेढ बंदी से मुक्त कराते हुये अतिक्रमणकारियों के आग्रह पर फसल कटाई करने हेतु 02 माह का समय देते हुये अंतिम अवसर प्रदाय किया गया तथा अतिक्रमणकारियों को वन क्षेत्र पर पुनः अतिक्रमण नही करने हेतु समझाईस दिया गया है।

अतिक्रमण वेदखली का पालन प्रतिवेदन मय आवश्यक दरतावेज संलग्न कर श्रीमान की ओर आवश्यक

कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :-

- 1) कार्यवाही पचनामा
- 2) दल क्रं. 1 कार्यवाही विवरण
- 3) दल क्रं. 2 कार्यवाही विवरण
- 4) दल क्रं. 3 कार्यवाही विवरण
- 5) फोटोग्राफस 42 नग
- 6) पेन ड्राइव विडियोग्राफी & फोटोग्राफी



वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र खुड़िया

कार्यवाही का पंचनामा

स्थान - कुसरी 1523 PF


दिनांक - 04/10/2024


समय - 5:10 PM

हम हस्ताक्षरित पंचगण वन बाबत अपना पंचनामा लिखा है कि आज दिनांक 04/10/2024 को वन मंडलाधिकारी मुंगेली वन मंडल मुंगेली (क.ग.) द्वारा वन परिशेष खुदिया अंतर्गत कुसरी परिसर के क.क. 1523 संरक्षित वन क्षेत्र में कुल 43 अवैध अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 (अ) के तहत जारी किये गये वेदबंदी आदेश के परिपालन में वन मंडलाधिकारी मुंगेली के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक मुंगेली के मार्गदर्शन पर अनुविभागीय अधिकारी (सा) लोहरमी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, एवं उप वन मंडलाधिकारी लोहरमी के नेतृत्व में वन बल, पुलिस बल, एवं वाजरब विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सहयोग से संयुक्त कार्यवाही करते किये कुसरी परिसर के क.क. 1523 संरक्षित वन क्षेत्र में निर्मित अवैध संरचना सोपड़ी तथा खाला कुल 41 नग की नष्ट कर वन सूचि का रूपान्तरण किये गये एवं सूचि (रविल) व कुला लगभग 450 हे० वन सूचि को घेराबंदी एवं मेदबंदी से मुक्त कराया गया तथा अतिक्रमण वन सूचि से उसल की छटाई करने हेतु 02 माह का समय अतिक्रमणकारियों के आग्रह पर अक्सर प्रदाय करते किये अतिव्यय में 3 वन क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करने का समझौता दिया गया यही हम पंचों का पंचनामा है, लिखाकर, पठकर मुनकर अपना हस्ताक्षर किये।

पंचगण का नाम

- ① आशीष व० श्री श्याम लाल मुनकर सा० लोहरमी -
- ② सउवा व० स्व.श्री माडवाम यादव सा० लोहरमी -
- ③ कुशील व० श्री कमल उलाह बाठीर सा० नवागांव -

हस्ताक्षर

 सुउवा
 अश्वि कुमार

पंचनामा मेरे
 रा लिपिबद्ध
 किया गया।

 परिसर रक्षक
 घानाघाट

[Handwritten signature]
श्रीमान श्रीमान
कीर्ती पर्व

[Handwritten signature]
वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन विभाग, मुंबई

[Handwritten signature]
B. J. Kulkarni
परिसर रक्षक
कसरी

[Handwritten signature]
परिक्षेत्र सहायक
पश्चिम लोरणी
वन परिक्षेत्र लोरणी


वन परिक्षेत्र अधिकार
वन परिक्षेत्र खुड़िया



कृषि क्रम 1523 पी एक कंसरी अतिक्रमणकारी का नाम - हुसैन / पीरु मुसलमान रकबा - 0.13 हे०



वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सुड़िया

कक्षा क्र.1523 PF नाम-मानसा/ कला मुसलमान, मकान क्र.13 अतिक्रमिता रकबा 1.130 हे.



कक्ष क्र.1523 PF नाम- बंदीका/हीरा कलार, मकान क्र:01 अतिक्रमिता रकबा 1.160 हे.



वन परिक्षेत्र अधिकार,
वन परिक्षेत्र खुड़िया


कक्ष क.1523 PF नाम-मनीराम/केजउ कलार, मकान क.05 अतिकमित रकबा 0.840 हे.



वन परिक्षेत्र अधिकारी
एन सीएस सुविधा

कक्ष क्र. 1523 PF, नाम-बहोरिक/तितरु कलार, मकान क्र. 02 अतिक्रमित रकबा 0.930 हे.




वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सुकिया

कक्ष क.1523 PF नाम-भानू/पुन्नू सतनामी,मकान क.04 अतिक्रमित रकबा 0.660 हे.




वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र खुड़िया



कक्ष क.1523 PF नाम-मुन्जा/ बिरोन सतनगढी, मकान नं.11 अतिव्यक्ति एकटा 1.350



 **GPS Map Camera**

Darwaja, Chhattisgarh, India
8JW6+99, Darwaja, Chhattisgarh, India
Lat 22.3478°
Long 81.612584°
08/10/24 04:50 PM GMT +05:30



Google




 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.350773°
Long 81.621965°
08/10/24 04:31 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Darwaja, Chhattisgarh, India
8JW6+99, Darwaja, Chhattisgarh, India
Lat 22.3478°
Long 81.612584°
08/10/24 04:48 PM GMT +05:30

Google




 **GPS Map Camera**



Google

Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.352294°
Long 81.623084°
08/10/24 04:19 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.352288°
Long 81.62308°
08/10/24 04:19 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.352294°
Long 81.623084°
08/10/24 04:19 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.349848°
Long 81.62053°
08/10/24 04:15 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.349868°
Long 81.620524°
08/10/24 04:10 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.351735°
Long 81.622628°
08/10/24 04:17 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**

Mungeli, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 495116, India
Lat 22.344328°
Long 81.618978°
08/10/24 03:51 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

Mungeli, Chhattisgarh, India

Lormi, Chhattisgarh, India

Lat 22.349857°

Long 81.620526°

08/10/24 04:08 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 495116, India
Lat 22.350627°
Long 81.617036°
08/10/24 03:42 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 495116, India
Lat 22.350525°
Long 81.616821°
08/10/24 03:37 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 495116, India
Lat 22.350483°
Long 81.616808°
08/10/24 03:50 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Mungeli, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 495116, India
Lat 22.344066°
Long 81.623362°
08/10/24 04:58 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.344358°
Long 81.623551°
08/10/24 04:55 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**

Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.344716°
Long 81.624286°
08/10/24 04:52 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.344717°
Long 81.624298°
08/10/24 04:54 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.345062°
Long 81.623877°
08/10/24 04:51 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Lormi, Chhattisgarh, India
Lat 22.345828°
Long 81.624246°
08/10/24 04:51 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Mungeli, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 495116, India
Lat 22.350654°
Long 81.616707°
08/10/24 03:36 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Mungeli, Chhattisgarh, India
Unnamed Road, Chhattisgarh 495116, India
Lat 22.350525°
Long 81.616821°
08/10/24 03:36 PM GMT +05:30

पंचनामा

स्थान - ठंसी 1523PF

दिनांक - 08/10/2024

समय - 4:10 PM

हम नीचे लिखे अधीकारत प्रकृती पंचनामा

अपना स्व-स्व पंचनामा लिख्य हेतु हे कि आज दिनांक 08/10/2024 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 04/10/2024 को ठंसी परिसर ब्लॉक 1523PF में अतिथमण वेदवती की कार्यवाही किया गया था. निम्नलिखित निरीक्षण (N.O.T) राष्ट्रीय टार प्रधिकरण कोषाल बंध के द्वारा प्रकृती पंचनामा 0A/93/2024 में परिसर अतिथमण वन विभाग, राजस्व विभाग एवं वन परिसर संरक्षण मण्डल के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अर्बन संरचना औपरी। आवा इत 41. नग को नए क वकवा लागभन 45.000 हे व-क्षमि. के धरा मे इंधी के नए क अतिथमण से मुक्त करना पया गया।

अपने पंचों का पंचनामा है. जे एही एवं सत्य है पकर पट काम लोपें।

पंचनामा

एतारा

1. श्री पंचराम क बालुजी गेहू की बंजी
2. श्री सधुवा क आडुरान ग्राफ्य लेखमी
3. श्री हरेक क बंजीराम गेहू लेखमी
4. श्री प्रकाश क सैरोप गेहू इंधी

UPM

अ 3वा

हरेक क

प्रकाश

अंक
08/10/24
(Alok Sahu
EEROCCB)

परिसर क

परिसर क
परिसर सहायक
कारीडोंगरी

अन परिसर अधिकार
वन परिसर सुडिया

परिसर क

परिसर सहायक
परिसर लोनी
वन परिसर लोनी

अ 3वा
हरेक क
प्रकाश

कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, लोरमी, उपवनमंडल लोरमी जिला-मुंगेली (छ.ग.)

Email-sdolormi@gmail.com

क्रमांक / 1062
प्रति,

2024/लोरमी/दिनांक 09/10/2024

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, खुड़िया

विषय :- कंसरी परिसर के कक्ष क्र.1523 PF में सतत गश्ती एवं अवैध अतिक्रमण पर रोकथाम करने बाबत।
संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी मुंगेली का कार्यालयीन पत्र क्र./स्टेनो/3822 दिनांक 07.10.2024.


—:0:—

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि वन परिक्षेत्र खुड़िया अंतर्गत कंसरी परिसर के कक्ष क्र.1523 PF वनभूमि में कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली द्वारा भा.व.अ. 1927 की धारा 80 (अ) के तहत जारी बेदखली आदेश के परिपालन में इस कार्यालय के कार्यालयीन पत्र क्र.1040 दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से दल गठन करते हुए दिनांक 04.10.2024 को उक्त अतिक्रमित वन क्षेत्र को वन बल, पुलिस बल एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

उक्त अतिक्रमित वन क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के द्वारा पुनः अतिक्रमण न कर सके संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र के संबंध में एतद द्वारा आगामी निर्देश तक वन परिक्षेत्र खुड़िया में पदस्थ क्षेत्रीय अमलों को उनको सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त अस्थाई रूप से वनों एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्य आबंटित किया जाता है :-

दल क्रं.	प्रभारी का नाम	सदरय कर्मचारियों का नाम	आबंटित कार्य क्षेत्र
1	2	3	4
1	श्री टेकराम कोलाम, प.स. कारीडोंगरी	श्री मनोहर लाल यादव, वनपाल प.र. घानाघाट श्री बजरंग कुमार कश्यप, वनरक्षक. प.र. कंसरी श्री सतीशचंद्र शर्मा, वनपाल, बेरियर प्रभारी कारीडोंगरी श्री पंचराम पटेल, सुरक्षा श्रमिक श्री सुशील कुमार राठौर, सुरक्षा श्रमिक	प्रति सप्ताह सोमवार, शनिवार दिन एवं रात्रिकालिन गश्ती कंसरी परिसर, घानाघाट परिसर, कारीडोंगरी परिसर एवं आवश्यक अतिसंवेदनशील वन क्षेत्र
2	श्री परसराम ध्रुव, प.स. खुड़िया	श्री रामनारायण कोल, वनरक्षक प.र. खुड़िया श्री सचिन सिंह राजपूत, वनरक्षक प.र. दुल्लापुर श्री रामनाथ यादव, वायरलेस आपरेटर, खुड़िया परिक्षेत्र श्री कमल यादव, वन चौकीदार, खुड़िया परिसर श्री अजय तिवारी, सुरक्षा श्रमिक	प्रति सप्ताह मंगलवार, शुक्रवार दिन एवं रात्रिकालिन गश्ती कंसरी परिसर, घानाघाट परिसर, कारीडोंगरी परिसर एवं आवश्यक अतिसंवेदनशील वन क्षेत्र
3	श्री पदुम सिंह नेताम, प.स. भूतकछार	श्री नरेन्द्र कुमार उपाध्याय, वनपाल प.र. भूतकछार श्री राजकुमार नेताम, वनरक्षक, प.र. झिरिया श्री पूनाराम साहू, भृत्य/अर्दली, भूतकछार परिसर श्री मोहन साकत, सुरक्षा श्रमिक श्री प्रकाश दाऊ, सुरक्षा श्रमिक	प्रति सप्ताह बुधवार, रविवार दिन एवं रात्रिकालिन गश्ती कंसरी परिसर, घानाघाट परिसर, कारीडोंगरी परिसर एवं आवश्यक अतिसंवेदनशील वन क्षेत्र
4	श्री प्रदीप कुमार कश्यप, प.स. सलगी	श्री राजकुमार राजपूत, वनपाल, प.र. सलगी श्री विजय कुमार पाण्डेय, वनपाल, प.स. बिजराकछार श्री भादूराम कोलाम, सुरक्षा श्रमिक श्री ओमप्रकाश मार्को, सुरक्षा श्रमिक श्री नर्मदा काठले, सुरक्षा श्रमिक	प्रति सप्ताह गुरुवार दिन एवं रात्रिकालिन गश्ती कंसरी परिसर, घानाघाट परिसर, कारीडोंगरी परिसर एवं आवश्यक अतिसंवेदनशील वन क्षेत्र

टीप :- समस्त दल प्रभारी अतिक्रमित वन क्षेत्र पर दिन एवं रात में सतत गश्ती करते हुए निगरानी रखेंगे वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा अतिक्रमण की संभावना, अतिक्रमण होने पर तत्काल इस कार्यालय के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
लोरमी, उपवनमंडल लोरमी

पृ. क्रमांक / 1063/

2024/लोरमी/दिनांक 09/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी मुंगेली की ओर अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि प्रति दिवस कंसरी परिसर के कक्ष क्र.1523 PF का विशेष गश्ती कराते हुए प्रतिदिन की कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। वन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पुनः न हो भरपूर प्रयास करेंगे।

उपवनमण्डलाधिकारी
लोरमी, उपवनमंडल लोरमी



